खास-खबरें

कलेक्टर के निर्देश पर आधार संबंधी समस्या का त्वरित निराकरण



नरसिंहपुर। जिले में आयोजित आधार शिविरों के माध्यम से नागरिकों की आधार संबंधी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सरसला में आयोजित आधार शिविर के दौरान आवेदक श्री सुजान ने कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के नाम आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनके पुत्र कुमार हीरालाल का आधार कार्ड कई बार प्रयास करने के बावजूद नहीं बन पा रहा है। आवेदन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने प्रकरण के शीघ्र निराकरण के लिए जिला ई-गवर्नेंस कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके परिपालन में जिला ई-गवर्नेंस कार्यालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जांच की गई। जांच में सामने आया कि कुमार हीरालाल का आधार कार्ड पूर्व में ही बन चुका था इसके पश्चात कलेक्टर कार्यालय स्थित आधार केंद्र में परियोजना महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कार्यरत आधार सुपरवाइजर श्री नीलेश कुशवाहा के माध्यम से पूर्व में जारी आधार कार्ड प्राप्त किया गया और आवेदक श्री सुजान को उपलब्ध कराया गया।

आईएफएमआईएस केयर थीम पर दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

अनुपपुर। जिले के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं उनके लेखा लिपिकों के क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से आईएफएमआईएस केयर थीम पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को संपन्न हुआ। कलेक्ट्रेट स्थित ई-दक्ष केंद्र में आयुक्त कोष एवं लेखा के निर्देशानुसार आयोजित प्रशिक्षण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय तथा लेखा संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान आईएफएमआईएस केयर थीम के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय प्रक्रियाओं की व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय कार्यों के निष्पादन में दक्ष बनाना तथा शासकीय लेखा संबंधी कार्यों को अधिक सुगम एवं व्यवस्थित करना था। दो दिवसीय प्रशिक्षण 4 एवं 5 नवम्बर को आयोजित किया गया।

शिवकुमार नीखरा बने कांग्रेस सेवादल प्रदेश सचिव

गाडरवारा। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. वी. श्रीनिवास की स्वीकृति, राष्ट्रीय सचिव एवं मध्यप्रदेश प्रभारी प्रतापनारायण मिश्रा तथा प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव की सहमति से मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल की नवीन प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला मुख्य संगठकों की घोषणा की गई है। इसी क्रम में संगठन के प्रति सतत निष्ठा और सक्रियता को देखते हुए जिला नरसिंहपुर, गाडरवारा नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवकुमार नीखरा को मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल का पुन: प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है।

जिला अधिवक्ता संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को उप मुख्यमंत्री ने दिलाई शपथ

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने बुद्धिजीवी वर्ग अपनी भूमिका निभाएँ : राजेन्द्र शुक्ल



नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि भारत देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है और आज हम ऐसे दौर में है जब हमारा देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। देश को दिशा देने में बुद्धिजीवी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बुद्धिजीवी वर्ग अपनी महती भूमिका निभाये। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल गुरूवार को सतना में जिला अधिवक्ता संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सतना सांसद श्री गणेश सिंह ने की। इस मौके पर महापौर श्री योगेश ताम्रकार, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, एडवोकेट रामानुज सेन, कृष्ण कुमार पयासी, वर्षा शर्मा, आशीष शर्मा, बालेन्द्र गौतम, मनीष तिवारी, रवीन्द्र सिंह सेठी सहित बडी संख्या में एडवोकेट गण उपस्थित थे।

जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग में सबसे पहले नाम एडवोकेट का ही आता है। इस नाते देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बडी जिम्मेदारी भी बुद्धिजीवी वर्ग पर है। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिसियल इन्टेलीजेंस का टूल्स हम सब के सामने है। उन्होंने कहा कि दुनिया में वहीं देश शांति की स्थापना कर सकता है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ आगे बढता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवता के कल्याण के लिए विकसित भारत 2047 के मिशन के महायज्ञ में बुद्धिजीवी वर्ग सहित हर नागरिक अपनी भूमिका का निर्वहन करे।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। सतना के विकास की चर्चा में श्री शुक्ल ने कहा कि सतना स्मार्ट सिटी के कार्य, फोरलेन सतना बायपास, मैहर-सतना-चित्रकूट तक 2500 करोड से आगामी समय में बनने वाली आलीशान सडक, बरगी नहर से सतना आने वाला नर्मदा मइया का जल, देवेन्द्रनगर से चुरहट तक नई रेललाइन और ट्रेन विकास के माइल स्टोन है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन समूचे विंध्य और बुन्देलखण्ड की जीवन रेखा साबित होगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सतना के नवीन जिला न्यायालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर शासन स्तर से शीघ्र कार्यवाही शुरू की जायेगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद श्री गणेश सिंह ने कहा कि लोगों को जल्दी न्याय मिले, इसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था को भी अपडेट किया गया है। आजादी के 8 दशक के बाद देश उस मुकाम पर पहुंचा है। जब देश में लगभग 850 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जा रही है। लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने रिक्तियां भरी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही देश के गैर उपयोगी हजारो कानून निरस्त किये गये है। जिससे न्यायालयों और पुलिस का श्रम और समय बचा है। सांसद ने कहा कि आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव हो रहे है। ऐसे दौर में समाज में विकृतियां नहीं पैदा हो, गरीबों को समय पर त्वरित न्याय मिले, संवेदनशीलता बढे, इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है।

महापौर श्री योगेश ताम्रकार ने कहा कि जिला न्यायालय परिसर में नगर निगम द्वारा जन सुविधाओं के कार्यो का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय भवन के लिए 71 करोड रूपये की लागत का प्रस्ताव है। सिविल लाइन क्षेत्र में लगभग 9 एकड जमीन भी उपलब्ध है। उन्होंने रीवा के जिला न्यायालय भवन की तरह व्यवस्थित और भव्य न्यायालय भवन सतना में भी बनाने की अपेक्षा की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन कर किया गया। कार्यक्रम के पश्चात उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद श्री गणेश सिंह तथा महापौर श्री योगेश ताम्रकार ने जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय भवन के उपरी तल पर जूनियर एडवोकेट प्रशिक्षण केन्द्र का फीता काटकर शुभारंभ किया।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, दायित्व एवं मोबाइल नम्बर के लगाए बोर्ड : कलेक्टर



नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल : कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारियो एवं कर्मचारियो की बैठक ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ अधिकारियो एवं कर्मचारियो के नाम, संक्षिप्त दायित्व, शाखा का नाम, एवं मोबाइल नम्बर प्रदर्शित कर बोर्ड अनिवार्य रूप से लगवाएं।

उन्होंने कहा कि कलेक्टर कार्यालय में आने वाले आवेदनो को गंभीरता से समझे और उनके निराकरण नियमानुसार संबंधित अधिकारियों की ओर प्रेषित कर समय-सीमा में निराकरण करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कर्मचारी यह सुनिश्चित करे कि शत-प्रतिशत फाइलो को ई-आफिस के माध्यम से ही भेजे, ऑफलाइन फाइल तैयार न करें। कलेक्टर ने कहा कि पदोन्नत हुए कर्मचारियों को भी ई-आफिस एवं आई-गॉट कर्मयोगी का प्रशिक्षण दिलाएं। कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर श्री अंकित ऊके को निर्देश दिए कि कलेक्ट्रेट परिसर में लगने वाले सभी शाखाओ का निरीक्षण कर गार्ड फाइल, निरीक्षण टीप सहित अन्य फाइलो का निरीक्षण करें। कलेक्टर ने बैठक में कलेक्ट्रेट में पदस्थ कर्मचारियों की समस्याएं एवं शिकायते भी सुनी एवं निराकरण कराने के निर्देश डिप्टी कलेक्टर श्री भागीरथी लहरे को दिए। कलेक्टर ने बैठक में शासकीय सेवकों के सीआर एवं क्लेम तथा अवकाश सहित अन्य जानकारियॉ भी प्राप्त की। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, श्रीमती निमिषा पाण्डेय सहित कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहें।

राजस्व प्रकरणों के आदेशों का क्रियान्वयन तत्परता से सुनिश्चित करें : कलेक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया : कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण, मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान, फार्मर रजिस्ट्री, ई केवाय सी, आधार सीडिंग, सीएम हेल्पलाइन तथा राजस्व प्रकरणों के वसूली की विस्तार से समीक्षा की। उन्होने कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणों का राजस्व अधिकारी तत्परता से निराकरण करें इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी तथा संबंधितों के विरूध्द कडी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि राजस्व प्रकरणों के आदेशों का क्रियान्वयन तत्परता से सुनिश्चित किया जाए तथा राजस्व अधिकारी राजस्व रिकार्ड सुधार के प्रकरणों को वरीयता दें । उन्होंने निर्धारित समय सीमा में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर भी विशेष जोर देने की बात कही । कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर अभियान चलाकर शेष किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होने राजस्व वसूली के साथ ही पंचायत उपकर व शाला विकास कर की वसूली करनें के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि भू राजस्व के बकायादारो की सूची बनाते हुए बडे बकायादारों की वसूली प्राथमिकता से करें । उन्होने 15 नवंबर तक स्वामित्व प्रकरणों के निराकरण तथा वसूली कार्य को पूर्ण करनें के निर्देश बैठक में दिए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग शासन और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित राजस्व से जुड़े प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में गति दें। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्राप्त शत-प्रतिशत आवेदनों का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप अभियान के माध्यम से शासन को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है।

जन विश्वास शिविर की तिथि में परिवर्तन, अब 13 नवम्बर को तियरा में होगा आयोजन

सिंगरौली। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत 6 नवम्बर को आयोजित होने वाला जन विश्वास शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अब उक्त शिविर का आयोजन 13 नवम्बर 2026 को ग्राम तियरा में किया जाएगा। शिविर के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करते हुए शासन की योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिविर की आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। आमजन से अपील की गई है कि वे 13 नवम्बर को ग्राम तियरा में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

दीपावली मेले की तैयारियां पूरी

कलेक्टर-एसपी ने चित्रकूट पहुंचकर किया विभिन्न स्थलों का निरीक्षण



नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना : प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन नगरी चित्रकूट में 6 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाले दीपावली अमावस्या मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।

चित्रकूट के मुख्य प्रवेश द्वार सहित प्रमुख चौक-चौराहों को आकर्षक विद्युत साज-सज्जा से सजाया गया है, जिससे पूरी धर्मनगरी उत्सव के रंग में नजर आने लगी है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के साथ गुरुवार को चित्रकूट पहुंचकर मेला व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गुप्त गोदावरी, भारत घाट एवं राघव प्रयाग घाट सहित मेला क्षेत्र में बनाए गए पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं के वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग, आवागमन की सुगमता तथा घाटों एवं मेला क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर-एसपी ने चौबेपुर सड़क का भी निरीक्षण किया तथा सड़क की स्थिति और आवागमन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मेला प्रारंभ होने से पहले शेष तैयारियां पूर्ण करने तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा दीपावली अमावस्या मेले में स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग एवं सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुरक्षित दर्शन और आवागमन की सुविधा मिल सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधायक कुशवाह के दिवंगत पुत्र के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की



नईदुनिया प्रतिनिधि, भिण्डः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिण्ड विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह के निवास पहुंचकर उनके दिवंगत पुत्र स्वर्गीय पुष्पेन्द्र सिंह कुशवाह के निधन पर शोक व्यक्त किया।

उन्होंने विधायक नरेन्द्र कुशवाह के स्वर्गीय पुत्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। स्वर्गीय पुष्पेन्द्र कुशवाह का गंभीर बीमारी के कारण दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को असामयिक निधन हो गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोकाकुल परिजनों से भेंटकर उन्हें ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में इस गहरे आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, सांसद श्रीमती संध्या राय, विधायक लहार अम्बरीश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

पिता के देहदान के बाद तेरहवीं पर रक्तदान शिविर लगाएगा परिवार

खरगोन। सेवा और परोपकार की भावना को आगे बढ़ाते हुए ग्राम लोनारा के प्रथम देहदानी स्व. रमेशचंद जैन के परिवार ने अनूठी पहल की है। उनके पुत्र आशीष और अमित जैन ने पिता की स्मृति में 12 नवंबर को तेरहवीं के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। शिविर में रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परिवार की ओर से स्मृति स्वरूप एक पौधा और एक पुस्तक भेंट की जाएगी। वरिष्ठ समाजसेवी राजेंद्र जैन महावीर सनावद ने बताया कि स्व. रमेशचंद जैन का निधन 30 अक्टूबर को हुआ था। इसके बाद 31 अक्टूबर को परिजनों ने उनका पार्थिव शरीर इंदौर स्थित अरविंदो मेडिकल कॉलेज को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया था। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए पुत्र आशीष और अमित जैन ने तेरहवीं पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करने का संकल्प लिया है।

स्पेशल खबर कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर जांच अभियान, घरेलू गैस के सिलेंडर भी किए जब्त

एनालॉग मावे पर बड़ी कार्रवाई, 1050 किलो मिठाइयां और 30 लीटर दूध नष्ट



नईदुनिया प्रतिनिधि, देवासः दीपावली के त्योहार के दौरान मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना द्वारा गठित संयुक्त जांच दलों ने देवास, खातेगांव और बागली (चापड़ा) में कार्रवाई करते हुए 1050 किलोग्राम से अधिक अमानक एवं मिलावटी मिठाइयां और 30 लीटर दूध नष्ट कराया।

देवास के नयापुरा स्थित न्यू स्वदेशी स्वीट्स से एनालॉग मावे से तैयार 770 किलोग्राम मिठाई जब्त कर नष्ट कराई गई। प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर दो सिलेंडर भी जब्त किए गए। संबंधित फर्म का खाद्य लाइसेंस निरस्त कराने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्टेशन रोड स्थित राजस्थान स्वीट्स से 200 किलोग्राम एनालॉग मावे की मिठाई और लाल गेट स्थित रेखा मिष्ठान भंडार से दूषित वातावरण में रखी 50 किलोग्राम मावा बर्फी नष्ट कराई गई। गायत्री स्वीट्स से मिठाइयों के नमूने लेकर एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। जोधपुर स्वीट्स, नवीन मिल्क प्रोडक्ट और माहेश्वरी स्वीट्स से भी नमूने लिए गए। खातेगांव के राजस्थान मिष्ठान भंडार से 30 किलोग्राम मिठाई और 30 लीटर अमानक दूध नष्ट कराया गया। वहीं बागली और चापड़ा की मिठाई दुकानों से भी मावा एवं मिठाइयों के नमूने लिए गए।

इससे पहले 4 नवंबर को भी देवास में मिठाई और नमकीन प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर कार्रवाई की गई थी। कुछ प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर सिलेंडर जब्त किए गए थे।

जांच दलों ने सभी नमूनों को सील कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा है। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

सीओ एसएएम, कटनी : प्रथम मंजिल, आस्था प्लाज़ा, झर्रा तिकुरिया, कटनी - 483501 (म.प्र.) ईमेल - coktnsamd@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जो है'', ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:

ई-नीलामी दिनांक एवं समय -30.11.2026 सुबह 11:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:00 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 29.11.2026

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) बिड वृद्धि राशि द) ई नीलामी दिनांक एवं समय
1. शाखा : गढ़ाकोटा (म.प्र.) **1. मेसर्स अग्रवाल ग्रेन स्टोर्स प्रो. श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल पिता नीलकंठ अग्रवाल,** **पता-** राम वार्ड, गल्ला मंडी, रहली, गढ़ाकोटा, सागर, मप्र - पिन-470229, **2. श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल पिता नीलकंठ अग्रवाल** **पता-** मकान नंबर 100 जगदंबा मार्ग राम वार्ड मेन रोड, पटेरिया सागर मप्र 470229	**1.** संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश भूमि, खसरा नंबर 56/3 क्षेत्रफल 2213 वर्ग फीट यानि 205.66 वर्ग मीटर, ग्राम केकरा स्थित पी.एच. क्रमांक 37/32 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर (म.प्र.), **संपत्ति मालिक-** श्री राजेंद्र अग्रवाल पिता श्री नीलकंठ अग्रवाल, गढ़ाकोटा, जिला सागर, **चतुर्सीमा-उत्तर-** सागर दमोह रोड, **दक्षिण-**भागवत की भूमि, **पूर्व-** अनिल कुमार की भूमि, **पश्चिम-** अशोक बगैरा की भूमि **2.** संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश भूमि, खसरा नं. 56/4 क्षेत्रफल 1092 वर्गफुट या 101.48 वर्गमीटर, मौजा ग्राम केकरा स्थित पी.एच.नं. 37/32, तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर म.प्र., **संपत्ति मालिकः** श्री राजेंद्र अग्रवाल पिता श्री नीलकंठ अग्रवाल, गढ़ाकोटा, जिला सागर म.प्र., **चतुर्सीमा- उत्तर-** सागर दमोह रोड, **दक्षिण-** भागवत की भूमि, **पूर्व-** नरेंद्र कुमार अग्रवाल की भूमि, **पश्चिम-** भागवत की भूमि **3.** संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश भूमि, खसरा नं. 18/3 (डायवर्सन के बाद नया खसरा नंबर 18/3/2) क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर या 4000 वर्ग मीटर, मौजा ग्राम केकरा स्थित 0.98 हेक्टेयर में से 2.45 एकड़ पुराना पी.एच.नं. 26/37 नया पी.एच.नं. तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर., **संपत्ति मालिक-** श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल गढ़ाकोटा, जिला सागर, **चतुर्सीमा- उत्तर-** राजेंद्र अग्रवाल का खसरा नं. 18/3/1, **दक्षिण-** सागर दमोह रोड, **पूर्व-** बालाप्रसाद का खसरा नं. 20, **पश्चिम-** नरेन्द्र कुमार अग्रवाल का खसरा नंबर 18/2/2 **4.** संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश भूमि, खसरा नंबर 18/3 (डायवर्जन के बाद नया खसरा नंबर 18/3/1) का क्षेत्रफल - 0.98 हेक्टेयर या 2.45 एकड़ में से 0.5800 हेक्टेयर या 5800 वर्ग मीटर, मौजा ग्राम केकरा पुराना पी.एच.नं. 26/37 नवीन पी.एच. क्रमांक 32 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर म.प्र., **संपत्ति मालिकः** श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल गढ़ाकोटा, जिला सागर, **चतुर्सीमा: उत्तर-** आफत का खसरा नं. 16 एवं नरेन्द्र अग्रवाल का खसरा नं. 17, **दक्षिण-** राजेंद्र कुमार अग्रवाल का खसरा नं. 18/3/2, **पूर्व-** खसरा नं. 12 का क्षेत्रफल, **पश्चिम-** नरेन्द्र कुमार अग्रवाल का खसरा नंबर 18/2/1 एवं 18/2/2 एवं संध्या रानी का खसरा नं. 18/4	अ) 06.11.2025 ब) 19.01.2026 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू.2,14,78,808.48 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 1,96,24,680.00 ब) 19,62,468.00 स) 50,000.00 द) 30.11.2026
2. शाखा : गढ़ाकोटा (म.प्र.) **1.मैसर्स नरेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल पिता नीलकंठ अग्रवाल, पता-** राम वार्ड, मेन रोड, गढ़ाकोटा सागर (म.प्र.) पिन - 470229, **2. श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता नीलकंठ अग्रवाल, पता-** मकान नंबर 112, भगत सिंह वार्ड, गढ़ाकोटा पटेरिया सागर म.प्र. 470229	**1.** व्यावसायिक परिवर्तित के समस्त भू भाग व अंश भूमि, पुराना पीएच नंबर 26/37, नया पीएच नंबर 32, हल्का केनकरा; पुराना खसरा नंबर 18/2 (डायवर्जन के बाद नया खसरा नंबर 18/2/1), एरिया 0.37 हेक्टेयर या 3700 वर्ग मीटर, गाँव केनकरा, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। **संपत्ति मालिकः** श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल पिता श्री नीलकंठ अग्रवाल, निवासी राम वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर, **चतुर्सीमा** इस प्रकार हैं: **पूर्व में -** कुमार अग्रवाल राजेंद्र का खसरा नंबर 18/3/1; **पश्चिम में -** संध्या रानी का खसरा नंबर 18/4; **उत्तर में -** राजेंद्र का खसरा नंबर 18/3/1 और उसके बाद आफत की भूमि; **दक्षिण में -** बंधककर्ता नरेंद्र कुमार अग्रवाल का खसरा नंबर 18/2/2 **2.** व्यावसायिक परिवर्तित के समस्त भू भाग व अंश भूमि, खसरा नंबर 18/2/2, क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर या 4000 वर्ग मीटर (डायवर्जन के बाद) 298/37, गांव केनकरा, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। **संपत्ति मालिकः** श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल पिता श्री नीलकंठ अग्रवाल, निवासी राम वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर इसकी **चतुर्सीमा** इस प्रकार हैं: **पूर्व में -** नरेंद्र कुमार अग्रवाल की भूमि, **पश्चिम में -** संध्या रानी की भूमि, **उत्तर में -** राजेंद्र कुमार अग्रवाल का खसरा नंबर 18/3/1, **दक्षिण में -** सागर-दमोह रोड	अ) 22.05.2026 ब) 04.08.2026 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू. 2,09,04,515.92 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 1,54,34,550.00 ब) 15,43,455.00 स) 50,000/- द) 30.11.2026
3. शाखा : मैहर (म.प्र.) **1. उधारकर्ता- मैसर्स होटल आर, (प्रोप.-श्री लक्ष्मी नारायण सोनी पिता श्री रामप्रसाद सोनी), पता -** प्लॉट नंबर 1601/2/ख/2 वार्ड नंबर 14 मैहर कटनी रोड, मैहर जिला-सतना (अब मैहर) म.प्र. 485771, **2. श्री लक्ष्मी नारायण सोनी पिता श्री रामप्रसाद सोनी (प्रोप./बंधककर्ता), पता 1:** मकान नं. 125 वार्ड नं. 16, रेस्ट हाउस के सामने, मैहर, जिला सतना (अब मैहर) (म.प्र.) 485771, **पता2 :** सी/ओ जी.आर. टेडर्स एंड मेटो मिर्ची, सिटी पेलेस स्टेशन रोड़, मैहर, जिला- सतना (अब मैहर) (म.प्र.) 485771, **3. श्री मनोज सोनी पिता श्री रामप्रसाद सोनी (जमानतदार), 4. श्री पदम कांत सोनी पिता श्री रामप्रसाद सोनी (जमानतदार), 5. श्री प्रकाश चंद सोनी पिता श्री रामप्रसाद सोनी (जमानतदार), 6. श्रीमती कांति सोनी पति श्री पदम कांत सोनी (जमानतदार), 7. श्रीमती रितु सोनी पति श्री लक्ष्मी नारायण सोनी (जमानतदार), 8. श्रीमती हेमलता सोनी पति श्री मनोज , पता (3,4,5,6,7 एवं 8)-** मकान नं. 125 वार्ड नं. 17,चोपड़ा कॉलोनी, मैहर, जिला सतना (अब मैहर)(म.प्र.) 485771,,	व्यावसायिक व्यपवर्तित अचल संपत्ति के समस्त भूभाग व अंश जिसका आराजी खसरा नं 32/2 रकवा 0.314 हेक्टेयर (33789.67 वर्ग फीट), मौजा कटियाकलान, यूनिट नं. 1, वार्ड नं. 22, भगतसिंह वार्ड, पी.एच. नंबर 50, मैहर, अमरपाटन रोड, आरएनएम मैहर, ब्लॉक व तहसील मैहर, जिला सतना (मप्र), जिसमें दो भवन निर्मित है व प्रत्येक भवन 4200 वर्ग फीट यानी 390.33 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर निर्मित है और जो दिनांक 07.02.2020 के पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार निम्न प्रकार **चतुर्सीमा** है :- **पूर्व :** नीलम चौरासिया की आराजी, **पश्चिम :** विकास तिवारी की आराजी, **उत्तर :** अमरपाटन बेला मैहर एनएच-07(रीवा रोड), **दक्षिण :** जया तिवारी की आराजी, **मालिक और बंधककर्ता -** श्री लक्ष्मी नारायण सोनी पिता श्री रामप्रसाद सोनी,	अ) 05.01.2023 ब) 27.04.2023 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू. 8,50,82,077.44 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 6,80,76,900.00 ब) 68,07,690.00 स) 1,00,000.00 द) 30.11.2026

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्ते : (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। **(2)** संपत्तियों की बिक्री **''जो है, ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार** पर होगी। **(3)** ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **(4)** विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। **(5)** संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें ।

स्थानः कटनी, दिनांक 06.11.2026 पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी